जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 15 संख्याः 197 प्रभात हिण्डौन सिटी, शुक्रवार 19 मई, 2023 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

गत दिनों, 21 अप्रैल को, उत्तरी वियतनाम की डोंग मो लेक में स्थानीय लोगों को 93 किलोग्राम का शव तैरता हुआ दिखा। यह असल में यैंगसी जाएंट सॉफ्ट शैल टर्टल प्रजाति की आखिरी ज्ञात मादा का शव था, जिसे वियतनाम का ''टर्टल गॉड'' कहते थे। एशियन टर्टल प्रोग्राम (ए.टी.पी.) ने इसकी मौत पर लिखा, ''हम बेहद आहत हैं, हमने इस टर्टल व इसके आवास को बचाने के लिए 17 साल तक कड़ी मेहनत की है।'' इस मादा के मरने से अब सिर्फ दो यैंगसी सॉफ्ट शैल टर्टल बचे हैं और दोनों नर हैं। इनमें से एक तो पास की ही एक लेक, शुआन खान में है और दूसरा ईस्टर्न चाइना के सूजो शहर के जंतुआलय में। यह भी संभव है कि, डोंग मो लेक में एक और टर्टल हो, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। छोटे आकार के यैंगसी सॉफ्ट शैल टर्टल को ''स्विनहोज़ सॉफ्ट शैल टर्टल'' भी कहते हैं और इस समय केवल दो या तीन टर्टल सरवाइव कर रहे हैं इसलिए इन्हें विश्व का सर्वाधिक संकटग्रस्त जीव कह सकते हैं। ये कछुए मूलतः चीन की रैड रिवर के बेसिन, लोअर यैंगसी रिवर तथा नॉर्दर्न वियतनाम में रहते थे। लेकिन नदियों पर बांध बनाने और वैटलैंड्स के सूखने से ये अपनी अधिकांश आवासीय रेंज से लुप्त हो गए हैं। हद से ज्यादा मछली पकड़ने, प्रदूषण तथा मीट व अण्डों के लिए इनके अत्यधिक शिकार के कारण भी इनकी आबादी बेहद कम हुई है। वियतनाम की पौराणिक कथाओं में इन कछुओं को ''किम की'' का प्रतीक माना जाता है। किम की वियतनामी कछुआ देवता हैं जिसने एक हजार साल के चीनी शासन को उखाड़ फेंकने में वियतनाम के लोगों की मदद की थी। आधुनिक हनोई शहर की होआम किम लेक वो स्थान है जहाँ कथित रुप से सम्राट एली लॉय ने कछुआ देवता ''किम की'' को जादुई तलवार लौटाई थी। सम्राट ने चीनियों को भगाने में इस तलवार का इस्तेमाल किया था। इस लेक में 2016 तक यैंगशी सॉफ्ट शैल टर्टल रहते थे। ए.टी.पी. के प्रमुख टिम मैककॉर्मैक ने 2019 में कहा था कि, संभव है यैंगशी जाएंट सॉफ्ट शैल टर्टल अभी वियतनाम व लाओस की झीलों में हों। इस प्रजाति का केवल एक जोड़ा भी इसको विलुप्ति से बाहर ला सकता है। एक मादा एक बार में 30 तक अण्डे दे सकती है और एक साल में एक से ज्यादा बार अण्डे देती है। पर इसके लिए बचे हुए टर्टल को ढूंढना जरुरी है। मादा यैंगसी जाएंट सॉफ्ट शैल टर्टल का ऊपर दिया गया चित्र सन् 2020 में लिया गया था।

छवि परिवर्तन कार्यक्रम के तहत रिजिजू को विधि मंत्रालय से हटाया गया

प्र.मंत्री इस मंत्रिमण्डलीय परिवर्तन से यह ''मैसेज'' देना चाहते हैं कि, सरकार ''जुडिशिएरी'' (सुप्रीम कोर्ट) से संबंध सुधारना चाहती है, जो पिछले दिनों काफी तनावपूर्ण हो गये थे

- पहली बार विधि मंत्रालय का कार्यभार एक राज्य मंत्री (स्वतंत्र चार्ज) को दिया गया है। यह भी संकेत है कि, सरकार अपनी विधि संबंधी नीतियों में संशोधन करने की इच्छुक है।
- निवर्तमान विधि मंत्री रिजिजू की लगातार सुप्रीम कोर्ट से रस्सा कशी चलती रही है, कोलीजियम सिस्टम को लेकर।
- सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बैंच ने जजों की नियुक्ति व तबादलों में देरी किए जाने पर आपत्ति की थी, और प्रशासनिक व न्यायिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी थी।
- निवर्तमान राज्य विधि मंत्री को हटाने के लिये भी यह तर्क दिया गया है कि, जब विधि मंत्री स्वयं राज्य मंत्री होता है तो, उप मंत्री की नियुक्ति नहीं की जा सकती।
- पर, सच है कि, निवर्तमान विधि राज्य मंत्री ने टिप्पणी की थी कि, बहुत कम मुसलमान उदारवादी होते हैं और, जो दिखते भी हैं, केवल उदारवाद का मुखौटा पहनते हैं।
- यह टिप्पणी उस समय आयी, जब मोदी व भाजपा मुसलमानों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है और प्र.मंत्री को नयी छवि में प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। देश की न्याय पालिका के साथ अपनी सरकार के संबंध बेहतर बनाने तथा सरकार की छवि सुधारने की समझी-सोची कोशिश के अंतर्गत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज न केवल विधि मंत्री किरन रिजीजू को हटा दिया, बल्कि विधि राज्य मंत्री एस.पी. बघेल को भी शिफ्ट कर दिया।

जहां रिजीजू अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण ''अर्थ साइंसेज'' मंत्रालय में भेज दिये गये हैं, वहीं बघेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भेज दिया गया है। ज्ञातव्य है कि रिजीजू को विधि मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रोन्नत किये अभी एक साल भी नहीं हुआ था।

अभी हाल ही हुये कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हुई जबरदस्त पराजय के बाद भाजपा ने यह चकित कर देने वाली कार्यवाही की है, वो भी आम चुनावों से ठीक एक साल पहले। प्रधानमंत्री मोदी मृदुभाषी अर्जुनराम मेघवाल को विधि एवं न्याय मंत्रालय में ले आये हैं ताकि न्याय पालिका के साथ तनावपूर्ण संबंध सुधर सकें।

रिजीजू, जो सरकार अत्यधिक उच्च कोटि के मंत्रियों से एक तथा सरकार के संकट मोचक माने जाते थे, को प्रोन्नत कर कैबिनेट मंत्री के रूप में विधि मंत्रालय भेजे हुये अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था।

मेघवाल संसदीय मामलों के प्रभारी राज्य मंत्री हैं, के पास अब विधि मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी रहेगा। अगर तथ्य परक बात करें तो हाल ही के इतिहास में यह ऐसा पहला अवसर होगा, जब विधि मंत्री कैबिनेट दर्जे का मंत्री नहीं होगा। यह तथ्य न्याय पालिका के लिये इस बात का एक गूढ़ संदेश भी है कि मोदी सरकार अब तक हुए नुकसान की भरपाई के लिये भी तैयार

(शेष पृष्ठ 5 पर)

ममता बनर्जी ''पटाखा फैक्टरी'' में बम विस्फोट की जांच एन.आई.ए. को सौंपने को क्यों राजी हो गयीं?

यह आम धारणा है कि, तथाकथित ''पटाखा फैक्टरी'' में असल में बम बनाये जाते थे तथा गैर कानूनी फैक्टरी का मालिक तृणमूल कांग्रेस का नेता तथा पंचायत का मुखिया है

- मालिक ''विस्फोट'' के बाद उड़ीसा भाग गया, कुछ समय तक गिरफ्तारी टालने के लिये।
- क्षेत्र में इस विस्फोट की घटना से काफी रोष है, क्योंकि मृतकों व घायलों की संख्या काफी अधिक है।
- तृणमूल पार्टी की टीम, जो गांव को ''विज़िट'' करने जा रही थी, उसे गांव में प्रवेश नहीं करने दिया।
- इस वातावरण को ठण्डा करने के लिये ममता बनर्जी ने विस्फोट काण्ड की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी एन.आई.ए. को सौंपने का निर्णय लिया।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। इस समय पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का समय अच्छा नहीं चल रहा है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत फिल्म ''केरल स्टोरी'' पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने सरकार की इस दलील को अमान्य कर दिया कि इस फिल्म के प्रदर्शन से राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।

यह मात्र एक हठधर्मिता थी कि इस फिल्म के प्रदर्शन से राज्य के मुसलमान उग्र हो जायेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाये रखना राज्य सरकार का कर्तव्य एवं दायित्व है।

विपक्ष का मानना है कि अन्य किसी कारण से न सही, केवल अपने कथन एवं अंदेशे को उचित ठहराने तथा प्रमाणित करने के उद्देश्य से सत्तारूढ़ दल स्वयं ही विरोध प्रदर्शन आयोजित कर सकता है तथा उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रमाणित कर सकता है।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश तृणमूल कांग्रेस की वर्तमान परेशानी का एक छोटा सा अंश मात्र है। पिछले दो दिनों में, बंगाल की राजनीति की स्थिति बड़ी खराब स्थिति में रही है तथा पटाखे बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री में हुये बहुत बड़े विस्फोट की घटना से सरकार बुरी तरह झुलसी हुई है। यह विस्फोट इतना ताकतवर था कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया कि यह पटाखे बनाने के सामान में हुआ है। यह एक सामान्य ज्ञान एवं

(शेष पृष्ठ 5 पर)

ग्रैनाईट की खदान में दबने से श्रमिक की मौत

मालपुरा, 18 मई (निसं)। लाम्बाहरिसिंह थाना क्षेत्र के रूपाहेली गांव के पास संचालित ग्रैनाईट की खदान में पत्थर की चट्टान गिरने से एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई।

सूचना पर पहुंची लाम्बाहरिसिंह थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। थानाधिकारी भागीरथ सिंह ने बताया कि, रूपाहेली के पास संचालित, धरती जतन ग्रैनाईट की खदान में चट्टान के नीचे एक श्रमिक के दबने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जे.सी.बी. की सहायता से चट्टान को हटाकर शव को कब्जे में लिया और मालपुरा

- बताया जाता है, श्रमिक चट्टान के नीचे दब गया था। अब मृतक के परिजन 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

शिव कुमार अपनी शर्त पर उपमुख्यमंत्री पद संभालने को तैयार हुए

कर्नाटक मंत्रिमण्डल में अब केवल एक उपमुख्यमंत्री होगा, हालांकि खड़गे स्वयं, एक दलित को और मु.मंत्री बनवाना चाहते थे।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार राज्य के एकमात्र उपमुख्यमंत्री के रूप में अंततः कर्नाटक सरकार में शामिल हो गए। जिसके मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते थे कि दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाएं जिनमें से एक दलित समुदाय का हो। लेकिन उन्होंने शिवकुमार एक ही उपमुख्यमंत्री की मांग स्वीकार कर लीं।

कांग्रेस, महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने यहाँ एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में कहा कि, खड़गे ने अपना निर्णय बताने के लिए उन्हें (वेणुगोपाल) अधिकृत किया है। उन्होंने कहा, संसद के चुनाव सम्पन्न होने तक शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी-रणदीपसिंह सुरजेवाला, जिन्होंने वेणुगोपाल के साथ ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर पत्रकारों को संबोधित किया, ने कहा, पत्रकार नाराज़ हैं कि कांग्रेस ने निर्णय जल्दी क्यों नहीं लिया। सुरजेवाला ने कहा, यह मीडिया का अधिकार है, ''हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं। यही कांग्रेस है।''उन्होंने कहा कि, गुरुवार शाम को कांग्रेस विधायकों की एक औपचारिक बैठक बैंगलुरू में आयोजित की जाएगी, जिसमें विधायक पार्टी आलाकमान को मुख्यमंत्री चयन का अधिकार देंगे। रविवार को मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को दोपहर 12.30 बजे होना है। टाइम का यह अंतर इसलिए रखा गया है ताकि विभिन्न विपक्षी दलों के नेता शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो पाएं।

बंगाल में ''द केरल स्टोरी'' से प्रतिबंध हटा

नई दिल्ली, 18 मई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने फिल्म द केरला स्टोरी के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाले पश्चिम बंगाल सरकार के आठ मई के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ राज्य सरकार के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इस पर प्रतिबंध का पर्याप्त आधार

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, फिल्म में प्रतिबंध लगाने जैसा कोई मुद्दा नज़र नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने खुद भी फिल्म देखकर इस बात का परीक्षण करने का फैसला किया है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

द्रविड़ पार्टियाँ, द्रमुक व अन्नाद्रमुक काफी प्रसन्न हैं, भाजपा की कर्नाटक में हार से

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई बार-बार गठबंधन साथी अन्नाद्रमुक को पिन चुभो रहे थे। पर, कर्नाटक के उन तमिल भाषी क्षेत्रों, जिनमें चुनाव की जिम्मेवारी प्रदेशाध्यक्ष को सौंपी गयी थी, में भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है

- अन्नाद्रमुक इस घटनाक्रम से आल्हादित है तथा भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं पर दबाव बना रही है, प्रदेशाध्यक्ष पर लगाम कसी जाये।
- दूसरी ओर प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई ने द्रमुक के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगाये थे और जवाब में द्रमुक ने भी काफी शोर मचाया था कि, कर्नाटक चुनाव में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भारी रकम ले जाते हुए पकड़े गये, हालांकि चुनाव आयोग ने इस आरोप को जांच के बाद मिथ्या बताया था। पर, अब द्रमुक चाहती है कि, कर्नाटक की राज्य सरकार इस आरोप की नये सिरे से जांच करे।
- तमिलनाडू से 39 सांसद निर्वाचित होते हैं, अतः यह राज्य लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा के लिये भारी महत्व रखता है, विशेषकर इसलिये भी, क्योंकि संभावना है कि, संसदीय चुनाव में उत्तर भारत में भाजपा कुछ सीटें खो सकती है।
- भाजपा की इस मजबूरी का भी द्रविड़ पार्टियाँ आनंद ले रही हैं।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजे, जिसमें भाजपा को करारी हार मिली है, का त्वरित प्रभाव तमिलनाडु में विपक्षी दलों अन्नाद्रमुक और भाजपा पर देखा गया है। जहां दोनों दलों के बीच तनावपूर्ण ही सही किन्तु आवश्यक गठबंधन है।

दोनों दलों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने तो यहां तक कह दिया कि बेहतर होगा पार्टी अकेले चुनाव लड़े, हालांकि दिल्ली में बैठा पार्टी नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं है। अन्नाद्रमुक ने भी तब करारा जवाब दिया था तथा उन्हें राजनीति में नौसिखिया और बचकाना करार दिया था और फिर भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व को दखल देना पड़ा, ताकि गठबंधन चलता रहे।

लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अन्नामलाई को जो क्षेत्र दिए थे, वहाँ भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेवारी अपनी योग्यता साबित करने के लिए दी थी। और अब जब अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे में अन्नाद्रमुक निस्संदेह ज्यादा दबाव डालेंगे। कर्नाटक की हार ने अन्नाद्रमुक पर दबाव डालने की भाजपा की क्षमता कम कर दी है। भाजपा, जो कि अन्नाद्रमुक पर दबाव डाल रही थी कि अलग हुए गुटों को पार्टी में वापस लिया जाए, अब ऐसा नहीं कर पाएगी। अन्नाद्रमुक नेता खुश है कि तमिलनाडु से संबंधित दोनों भाजपा नेता अन्नामलाई और सी.टी. रवि, जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और तमिलनाडु के प्रभारी हैं, कर्नाटक में बुरी तरह असफल रहे हैं। सी.टी. रवि तो खुद चिकमंगलूर से प्रत्याशी थे, पर हार गए। कोलार और मांड्या जिलों, जहाँ काफी तादाद में तमिल आबादी रहती हैं, में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। यहाँ प्रचार का जिम्मा अन्नमलाई को दिया गया था।

अन्नमलाई कर्नाटक व तमिलनाडु

(शेष पृष्ठ 5 पर)

जल्लीकट्टू व बैलगाड़ियों की रेस को स्वीकृति मिली

नई दिल्ली, 18 मई (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सांडों को वश में करने के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू से संबंधित कानून को न्याय संगत बताते हुए इससे संबंधित तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कानून की वैधता को गुरुवार को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की संविधान पीठ ने तमिलनाडु के साथ इस प्रकार के पारंपरिक खेल से संबंधित महाराष्ट्र और कर्नाटक के कानूनों में पर भी अपनी मुहर लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि जल्लीकट्टू पिछले कुछ सदियों से राज्य में चल रहा है और राज्य

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, राज्य द्वारा पारित कानून में जानवरों के प्रति क्रूरता का ध्यान रखा गया है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)